बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री राम कल्याण मंडल, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, भरगामा, अररिया सम्प्रति विभागीय मुख्यालय के विरूद्ध तथ्य छुपाकर माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने जिसके कारण पूरक प्रतिशपथ पत्र दायर करने की स्थिति उत्पन्न होने, अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों का निर्धारित मात्रा में निरीक्षण नहीं करने, अपने कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के बावजूद भी दिग्भ्रमित करते हुए संबंधित पैक्स दुकानों को नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से सम्बद्ध करने हेतु प्रस्ताव समर्पित करने, अपने नियंत्री पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन प्राधिकार से बिना किसी सूचना/आदेश प्राप्त किये ही शंकरपुर पैक्स एवं नया भरगामा पैक्स अध्यक्ष के विरूद्ध भरगामा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन समर्पित करने, फारबिसगंज अनुमंडल अन्तर्गत माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2024 में AePDS साईट पर ऑनलाईन राशन वितरण प्रतिशत सबसे कम रहने के लिए पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने, लगभग 30 से 40 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को गोदाम ले जाकर महिला सहायक गोदाम प्रबंधक, भरगामा सुश्री विनिता कुमार के साथ अभद्र व्यवहार करवाने में संलिप्त पाये जाने तथा इस संबंध में पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब अब तक समर्पित नहीं किये जाने, जनसंख्या के आधार पर भरगामा प्रखंड का eKYC का कार्य राज्य के औसत से बेहद कम होने, बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के आदेश का उल्लंघन करने एवं भरगामा प्रखंड अन्तर्गत कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा सामुहिक रूप से की गई शिकायत के आलोक में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, फारबिसगंज की अध्यक्षता में गठित संयुक्त टीम द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में यह पाये जाने कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को प्रताड़ित/भयादोहन करने के साथ गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य में सम्मिलित कर अवैध रूप से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से हर माह 2000–2500/– रूपये तक की अवैध राशि की वसूली की जाती है, जैसे प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–515 दिनांक–20.05.2025 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोपों के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–894 दिनांक–04.06.2025 द्वारा कारणपृच्छा/बचाव बयान की माँग की गयी। उक्त के क्रम में श्री मंडल द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

2. श्री मंडल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया को प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य उपस्थापन/ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4. संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आरोपी कर्मी को आरोप पत्र प्रपत्र–'क' एवं साक्ष्यों की एक प्रति अपने स्तर से तामिला कराते हुए तीन माह के अन्दर

विभागीय कार्यवाही पूरी कर तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे ।

5. श्री मंडल को यह निदेश दिया जाता है कि आरोप पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर आरोपों के संदर्भ में अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष अवश्य समर्पित कर देंगे ।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र08–गो0आ0(अररिया)–07/2025– 2541 /खाद्य, पटना/दिनांक–23.09.2

प्रतिलिपि

1. जिला पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया–सह–संचालन पदाधिकारी (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रशाखा पदाधिकारी–03/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. श्री राम कल्याण मंडल, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, भरगामा, अररिया सम्प्रति विभागीय मुख्यालय, Mob.- 8789386475, E-Mail ID : ramkalyanmandal1310@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2025\Gyapan_Deptt. Proceeding\Ram Kalyan Mandal.doc